न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2016 G.C.M.S. No. 2016/00271 दर्ज दिनांक : 15.01.2016

अपीलार्थिगण:

1. दुदाराम पुत्र प्रतापजी जाति मेघवाल, निवासी लालपोल के अन्दर जालोर तहसील जालोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 478/1976 बअनवान सरकार बनाम प्रतापा पुत्र सरूपा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.1976 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम

पैरोकार–

1. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय अधिवक्ता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 28.04.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 468/76 बअनवान सरकार बनाम प्रतापा पुत्र सरूपा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.1976 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

मौजा जालोर खास के पूराने खसरा संख्या 1771 रकबा मात्र 2 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी थर्ड की कृषि भूमि प्रतापा पुत्र सरूपा की एकमात्र खातेदारी थी व कब्जा काश्त था। भूमिधारी ने इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने 1975 में एक वर्ष कब्जा होना बताते हुए खातेदारी एस.सी वर्ग व कब्जा सवर्ण का मानते हुए प्रार्थना पत्र सहायक जिलाधीश जालोर में पेश किया जो स्वीकार कर अपीलांट के पिता की खातेदारी को सिवायचक घोषित किया है। सहायक जिलाधीश ने उपरोक्त दोनो पक्षकारो के बयान लिए है। उसमें खातेदार प्रतापा ने बताया कि अगले वर्ष कास्त करने से असकर खां को मना कर दिया है तथा असकर खां वल्द अब्दखां स्वयं ने बयान मे बताया है कि अगले वर्ष प्रतापा ने कास्त करने से मना कर दिया है अब अगले वर्ष कास्त नहीं करूगा। इस प्रकार अनपढ, गरीब कास्तकार को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण यदि हो गया तो जानकारी होने पर तुरन्त कब्जा असकर खां वल्द अब्दूखां से खातेदार प्रतापा ने प्राप्त कर लिया था तो अपीलाधीन आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। उपरोक्त बयानात प्रत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद गरीब खातेदार को खातेदारी को सिवाय चक का आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। मृतक प्रतापा पुत्र सरूपा भांबी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनुसूचित जाति का कास्तकार था उसका मुख्य पेशा कास्त ही था। अनुसूचित जाति वर्ग के काश्तकारो को भूमि आवटन करने की राज्य सरकार को मंशा आरम्भ से आज तक रहीं है। उक्त भूमि पर अपीलांट के के पिता के जीवनकाल तक कब्जा रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट का कब्जा कास्त रहा है। इसके रि-सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्धक विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 1777 रकबा 1.65 हैक्टर बनाये गये है जो वर्तमान में सरकारी खाते में गलत रूप से दर्ज है। किसी ने बेदखल करने की कार्यवाही मौके पर आकर नहीं की इसलिए उन्हे अपने जीवनकाल में अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी फिर उनकी मृत्यु हो गयी। अपीलांट ने पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की फिर दिनांक 21.12.2015 को नकल मांगी जो दिनांक 23.12.2015 को मिली। इससे पूर्व अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। डिले कन्डोन कर अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने योग्य है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश आदेश दिनांक 16.11.1978 जिसके द्वारा प्रतापा पुत्र सरूपा की खातेदारी को खालसा सिवायचक किया है उसे निरस्त कर वर्तमान खसरा नम्बर 1777 रकबा 1.65 हैक्टर में 0.48 हैक्टर मौजा जालोर ए में अपीलांट का नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार जालोर को प्रदान करावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व प्रकरण अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.1976 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 15.01.2016 को दीर्घ विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।
2. विंलबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश 16.11.1976 की जानकारी 21.12.2015 से पूर्व नहीं थी। अपीलांट के पिता अपने हस्ताक्षर करने जानते थे वे कभी स्कूल नहीं गये। खेत में ढाणी बनाकर रहते थे गॉव से सम्पर्क कम ही था। इस कारण उन्हे ज्ञान नहीं था। उनके जीवनकाल तक उनका कब्जा कास्त मौके पर रहा परिवार सहित इसमें रहवास था किसी ने बेदखल करने की कार्यवाही मौके पर आकर नहीं की इसलिए उन्हे अपने जीवनकाल में अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी फिर उनकी मृत्यु हो गयी। दिनांक 21.12.2015 को नकल मांगी जो दिनांक 23.12.2015 की मिली फिर कानूनी सला प्राप्त कर यह अपील पेश की। अतः अपीलांट की अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अन्दर म्याद शुमार फरमावे।
3. पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा अपीलांट के पिता प्रतापा पुत्र सरूपा एवं अकबर खां पुत्र अब्दुखां के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

09.11.1976 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस क्रमांक 4397 दिनांक 09.11.1976 जारी किए गए तथा पत्रावली 16.11.1976 को नियत की गयी। आदेशिका दिनांक 16.11.1976 पर दोनो अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है तथा सायल की ओर से नायब तहसीलदार गोरधन सिंह एवं गैर सायल असालतन उपस्थित होना का अंकन है। अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन व निर्णित अपीलाधीन प्रकरण की बखुबी जानकारी थी, एंव अपीलांट अप्रार्थीगण संख्या 01 का वारिस है अतः अपीलांट को विशेष रूप से एवं पृथक रूप से जानकारी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि अपीलांट अपने पिता अप्रार्थी संख्या 01 के फुट स्टेप के रूप में है।

4. अपीलांट्स प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों व उज्र के समर्थन में कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किए हैं। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा महज मौखिक कथन करते हुए विलंब के रूप में दर्शित कारण काल्पनिक रूप से अंकित किए हैं जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश को विधिविरूद्ध या आरंभतः शून्य प्रकरण भी नहीं माना जा सकता।

5. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law-then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

6. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **14304 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **14304 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली